112 आपात सेवाएं

शाहजहाँपुरपुलिस

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य 24.04.2024

थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

जलालाबाद पुलिस द्वारा 12 घण्टे के अन्दर चोरी हुई दूध की फैंट निकालने वाली मशीन को बरामद कर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मनोज कुमार अवस्थी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं श्री अजय कुमार राय क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह थाना जलालाबाद के नेतृत्व में बडी सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 24.04.2024 को थाना जलालाबाद पर वादी श्री रीतेश कुशवाहा पुत्र रामनाथ निवासी मो0 आजाद नगर कस्वा व थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर ने अपनी दूध फैंट की मशीन को प्रतिपक्षी मोहित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम धियरपुरा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 370/2024 धारा 379 IPC बनाम मोहित पुत्र राजेन्द्र उपरोक्त के पंजीकृत कराया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री महेश कुमार के द्वारा की जा रही है। सूचना मिलते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद द्वारा टीम गठित की गयी । थाना जलालाबाद पुलिस अभियुक्त व मशीन की तलाश में क्षेत्र में मामूर थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की जिन चोरो ने दूध फैंट वाली मशीन चोरी की है वह दोनो एलमनगर जाने वाले रास्ते पर खडे है यदि जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते है, ,सूचना मिलते ही हम पुलिस वाले वादी मुकदमा रितेश को साथ लेकर जैसे एलमनगर तिराहे पर आये पहुचे तो मुखबिर खास ने दूर से इशारा करके बताया कि सामने जो दो व्यक्ति खडे है उन दोनो के द्वारा ही मशीन चोरी की है। हम पुलिस ने बिना देरी किये आवश्यक बल प्रयोग कर दोनो व्यक्तियों को समय करीब 10.00 बजे पकड लिया, पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम 1. मोहित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम नूरपुर करही थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम रियाजुद्दीन पुत्र गबरूद्दीन निवासी ग्राम याकूबपुर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर बताया, पूछने पर अभियुक्त रियाजुद्दीन ने चोरी की गयी दूध फैंट की मशीन को अपने घर ग्राम याकूबपुर से बरामद कराया, वादी मुकदमा द्वारा पहचान कर बताया कि यही मेरी दूध की फैंट निकालने वाली मशीन है। निरीक्षण घटना स्थल व माल बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 380/411 IPC के अपराध का होना पाया गया तथा अभियुक्त 1. रियाजुद्दीन पुत्र गबरूद्दीन निवासी ग्राम याकूबपुर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर के नाम की वृद्धि कर अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

तस्करा पूछताछ अभियुक्त -

अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त मोहित ने बताया कि हम दोनो ने यह मशीन कल सुबह समय करीब 04 बजे चन्द्रपाल के घर के अन्दर से चोरी की थी और रियाजुद्दीन के घर पर रख दी थी, हम इस मशीन को बेचने की प्लानिग बना रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया। , साहब हमसे गलती हो गयी, हमे मांफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. मोहित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम नूरपुर करही थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
2. रियाजुद्दीन पुत्र गबरूद्दीन निवासी ग्राम याकूबपुर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरणः—

1. मु0अ0सं0 370/2024 धारा 380/411 भादवि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरण

01 मशीन दूध की फैंट निकालने वाली कम्पनी EKO MJLK BOND – 5 C523023653 MRP- 85000MFDFEV - 2023

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर।
2. उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर।
3. का0176 बिट्टू कुमार सुशील थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर।
4. का0 1753 चन्द्रवीर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर।